भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1100

शुक्रवार 07 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

एस एस टी सी के लिए पर्याप्त निधि

1100. प्रो.अच्युतानंद सामंत :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसे फ्रेमवर्क को प्रारंभ करने का है, जिसमें राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (एसएसटीसी) को पर्याप्त निधि प्रदान की जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवरों और विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ाने का है, ताकि उन्हें अनुसंधान प्रयोगशालाओं का अधिगम और बेहतर वेतन/प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डा. हर्षवर्धन)

(क) जी, हां। भारत सरकार ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से, देश में राज्य एस एंड टी परिषदों (एस एस टीसी) को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए एक ढॉचा पहले से विकसित कर लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देश में एस एंड टी पारिस्थितिकी विकसित करने के प्रयोजनार्थ स्थापित एस एस टी सी के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य एस एंड टी कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी-सहयोग, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम/परियोजनाएं बनाने एवं कार्यान्वित करने की दृष्टि से केन्द्र और राज्य को आपस में जोड़ने की प्रेरक भूमिका निभाने में एसएसटीसी को सुविधा प्रदान करना है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एस एंड टी परिषदों को उलब्ध कराई गई निधियों का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है।

रू लाख में

वित्त वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20*	कुल
राज्य एस एंड टी परिषद	2303.58	2215.65	3510.37	8029.60

*2019 -20 सहायता अनुदान को बढ़ाकर 3510.37 लाख रूपए कर दिया गया है जिसमें मुख्य एस एंड टी मानव संसाधन के लिए 2582.73 लाख रूपए, लघु कार्यालय उपकरणों के लिए 47.64 लाख रूपए, सभी एस एस टी सी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एस एंड टी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए 280.0 लाख रूपए और असम, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलगांना राज्यों में कुछ सुनिष्पादक एस एस टी सी को परियोजना संबंधित अनुदान के लिए 600 लाख रूपए सम्मिलित है।

(ख) और (ग) : केन्द्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से वृत्तिकों एवं विद्यार्थियों को अनुसंधान प्रयोगशालाएं एवं बेहतर छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां और/अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 2008 से "अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवप्रवर्तन" को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिभावान एवं मेधावी छात्रों को एस एंड टी अनुसंधान एवं विकास में करिअर अपनाने के लिए छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां और अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है।

....2/-

इंस्पायर के **उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति (शी)** घटक का उद्देश्य निष्पादक अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ ग्रीष्मकालीन संलग्नता कार्यक्रम के माध्यम से छात्रवृत्तियां और परामर्श प्रदान कर विज्ञान प्रधान कार्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से प्रतिभावान युवाओं की संलग्नता दर में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत 17-22 वर्ष के आयु वर्ग में मेधावी-छात्रों को प्राकृतिक एवं बुनियादी विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षा ग्रहण के लिए प्रति वर्ष 0.80 लाख रूपए की दर से 12,000 छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष प्रदान की जाती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक शोध छात्र को परामर्श विषयक सहायता उपलब्ध कराना है। अब तक, लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने प्राकृतिक एवं बुनियादी-विज्ञानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए **शी छात्रवृत्तियां** प्राप्त की हैं।

इंस्पायर के **इंस्पायर अध्येतावृत्ति** घटक के अंतर्गत अभियांत्रिकी, कृषि, पशुचिकित्सा एवं चिकित्सा सहित बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में डॉक्टरल उपाधि प्राप्त करने के लिए 22-27 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1000 इंस्पायर अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है। प्रथम दो वर्षों के लिए, इंस्पायर अध्येताओं को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) के समतुल्य अध्येतावृत्ति की राशि अर्थात 31,000 रू/ प्रति माह+एच आर ए+ प्रति वर्ष 20,000 रूपए का आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है। दो वर्ष के अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन के पश्चात, इंस्पायर अध्येता का स्तरोन्नयन वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के रूप में किया जा सकता है। बाद में, स्तरोन्नयित इंस्पायर अध्येता को वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एस आर एफ) के समतुल्य अध्येतावृत्ति की राशि अर्थात 35000 रूपए/प्रति माह+ एच आर ए+ प्रति वर्ष 20000 रूपए का आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक, लगभग 8500 इंस्पायर अध्येताओं को एस एंड टी में पीएचडी करने के लिए इंस्पायर अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं।

इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति घटक के अंतर्गत 27-32 वर्ष के आयु वर्ग वाले 100 पोस्ट-डॉक्टरल वैज्ञानिकों को मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में देश स्थित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थाओं/प्रयोगशालाओं में 5 वर्ष का अनाश्रित अनुसंधान करने के लिए प्रति वर्ष अवसर उपलब्ध कराया जाता है। यह 1,25,000 रूपए प्रतिमाह की समेकित परिलब्धि और प्रति वर्ष 7 लाख रूपए तक के अनुसंधान अनुदान के साथ 5 वर्षों के लिए आकर्षक अध्येतावृत्ति प्रदान करता है। अब तक, 1265 इंस्पायर संकाय अध्येताओं ने अनुसंधान एवं विकास में करिअर बनाने के लिए ये अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हैं।

****